न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 1717/2021 2021/477

वादी :–

नेनाराम पुत्र लाभूराम

जाति जाट निवासी रिछोली

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

गंगाराम गोदपुत्र बालाराम

जाति जाट नि० रिछोली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री नेनाराम स्वंय वादी।
2..श्री गंगाराम प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 22-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 28/24, 30/27 रकबा 31.00 बीघा, सरहद मौजा कल्याणपुरा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला पिता का नाम बालाराम होने से राजस्व रेकर्ड में बालाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी के पिता का नाम लाभूराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजना का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी के राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज बालाराम के स्थान पर लाभूराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:47:48 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी ~~को~~ के पिता बचपन नाम ....बालाराम.... के स्थान पर ....भाखूराम.... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....तहसीलदार पचपदरा.... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....28/24, 30/27.... रकबा ....11.03, 20.16.... बीघा, सरहद मौजा ....पनिया-वालान.... तहसील पचपदरा वादी के पिता का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....बालाराम.... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~सम्बीन~~ रिछोली एवं तहसीलदार ....पचपदरा.... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के पिता का बचपन का नाम ....बालाराम.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....भाखूराम.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....28/24, 30/27.... रकबा ....11.03, 20.16.... बीघा, सरहद मौजा ....पनिया-वालान....

वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता का गलत नाम ....नेनाराम.... पुत्र ....बालाराम.... के स्थान पर ....नेनाराम.... पुत्र ....भाखूराम.... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....22-10-2021.... को ~~कोई केम्प कोर्ट~~ रिछोली में मजमे आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:47:48 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......रिडोली......

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1) नेनाराम पुत्र लाभुराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		2) गंगाराम गोदपुत्र बालाराम 3 राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......नेनाराम...... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ......नरेश सोनी...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत ~~खसरा~~ नं ......5...... रकबा ......31-19...... बीघा, सरहद मौजा ......बागिया चारणान खाना......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......नेनाराम...... पुत्र ......बालाराम...... ...... के स्थान पर ......नेनाराम...... पुत्र ......लाभुराम...... ......खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......22-10-21...... को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:47:48 IST
Reason: SelfAttested

(...सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

मुददई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		